

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1576]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2011/श्रावण 21, 1933

No. 1576]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2011/SRAVANA 21, 1933

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2011

New Delhi, the 9th August, 2011

का.आ. 1894(अ).—रसायनिक हथियार समझौता अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 13 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1490(अ) में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, नामतः :—

S.O. 1894(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, number S.O. 1490(E), dated the 13th September, 2006 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

In the said notification, for the serial number 3 and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

“3. श्री आर. एस. सिद्धू—निदेशक (महानिदेशक, राजस्व सतर्कता निदेशालय)”

“3. Shri R. S. Sidhu— Director (Director General, Directorate of Revenue Intelligence)”

[फा. सं. 40020/20/2007-रसा.-I]

[F.No. 40020/20/2007-CH-I]

संजय बंसल, निदेशक

SANJAY BANSAL, Director

टिप्पणी :—मूख्य अधिसूचना 13 सितम्बर, 2006 के सं. का.आ. 1490(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 11-6-2010 के सं. का.आ. 1495(अ) के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

Note:—The principal notification was published *vide* No. S.O. 1490(E) dated 13th September, 2006 and last amended *vide* No. S.O. 1495(E) dated 11-6-2010.